RNI No. 43038/1985 Postal Reg. No.: DL(C)-14/1434/2024-26, Posting Date: 28 & 29 of the Same Month

मूल्य: 10 रुपये

नेजाजी की जुबानी

वास्तविकता को, कुल मिलाकर, हमारी दुर्बल समझ द्वारा समझना बहुत दुरूह है। फिर भी, हमें अधिकतम सत्य पर आधारित सिद्धांतों के बल पर जीवन का निर्माण करना होगा।

जन गर्जन

वर्ष 39 अंक 10 हिन्दी मासिक नई दिल्ली अक्टूबर –2024 विक्रमी संवत्–2078 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक – शुल्क: 100 रुपये

प्रभावकारी योजना और संयुक्त प्रयास से भाजपा परास्त होगी

जी. देवराजन
महासचिव
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक

हाल ही में जम्मू व कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनाव सम्पन्न हुए जो आशा के अनुरूप कदापि नहीं रहे। जम्मू व कश्मीर विधानसभा में मूलत: कश्मीर घाटी में नेशनल कांफ्रेंस ने 51 में से 42 सीटें जीतीं जबकि मूलत: जम्मू सम्भाग में भाजपा ने 29 सीटें जीत ली। नेशनल कांफ्रेंस–कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू व कश्मीर में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की तथा कुल 90 सीटों में से 48 पर सफलता प्राप्त की। इस सफलता का श्रेय कांग्रेस को नहीं बल्कि नेशनल कांफ्रेंस को जाता है। जम्मू सम्भाग में कांग्रेस का सफाया हो गया जहां उसे भाजपा को हराना था। उसे कुल 6 सीटें मिलीं और वे सभी कश्मीर घाटी में हैं। कम उम्र की पार्टी 'आप' ने कश्मीर में पहली बारचुनाव लड़ा तथा अपना खाता खोला 'आप' ने इसतरह पांचवें प्रदेश में प्रवेश किया। मेहराज मलिक एक जिला विकास कौंसिल के सदस्य थे और उन्होंने भजापा के गजय सिंह राणा को डोडा में हराया। मलिक ने 23,228 मत और राणा ने 18,690 मत प्राप्त किए।

जम्मू सम्भाग में कांग्रेस का सफाया व भाजपा के 29 सीटों की सफलता ने उसे जम्मू व कश्मीर में दूसरे नम्बर की बड़ी पार्टी बना दिया है। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा को 25 सीटें मिली थी जो इस प्रकार 29 सीटों में बदल गई। सात निर्दल भी जीते हैं तथा पीडीपी ने तीन सीटों ही प्राप्त कर पाई तथा आशानुरूप कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया और मात्र 6 सीटें ही पा सकी।

कांग्रेस पार्टी को दूसरा बड़ा झटका हरियाणा विधानसभा के नतीजों से प्राप्त हुआ। यहां भाजपा ने सबको चौंकाते हुए लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर का सामना किया तथा कांग्रेस की सम्भाव्य जीत को हार में बदला तथा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। अब भाजपा इस सफलता की ऊर्जा को बनाए रखते हुए तथा बढ़ाते हुए महाराष्ट्र, झारखंड व उसके बाद दिललली की जीतने के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2019 में भाजपा ने 41 सीटें हरियाणा विधानसभा में जीती थीं वहीं इस बारउसे 48 सीटें मिल गई। आम लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से मात्र 5 सीटें जीतने में भाजपा को जो धक्का लगा था उसकी कुछ भरपाई इस विधानसभा की जीत ने कर दी।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि एनडीए या भाजपा शक्ति अर्जित करने की राह पर है तथा इंडिया गठजोड़ या कांग्रेस कमजोर हो रही है तथा आम लोकसभा चुनाव के दौरान अर्जित शक्ति को खो रही है।

इंडिया गठजोड़ के गठन का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त रूप से भाजपा से लड़ने व उसे परास्त करने के लिए हुआ था जिस आधार पर राष्ट्र, संविधान, पंथ निरपेक्षता और संघीय ढांचे की रक्षा हो सके। श्री मोदी के दो कार्यकाल असहनीय पीड़ा व क्षति प्रदान कर चुके हैं और ऐसा महसूस किया गया कि देश के मौलिक व आदर्श चरित्र को ही समाप्त कर दिया जाएगा। एक राष्ट्र के रूप में हम तरह–तरह के संकटों से गुजर रहे हैं तथा भाजपा–राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जकड़ से देश को मुक्त करना आवश्यक है। फिर यह तय हुआ था कि विपक्षी दलों को सर्वप्रथम एक साथ खड़ा होना होगा तथा नए गठबंधन में सबसे बड़े दल कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त रूप से आगे के संघर्षों की रूपरेखा बनेगी और उसी अनुसार राजनैतिक रास्ते विकसित किए जाएंगे। विपक्ष ने यह एकता इस तथ्य पर तैयार किया था कि सत्ताशीन भाजपा को 37 प्रतिशत मत मिले थे अर्थात विपक्ष के 63 प्रतिशत बिखरे मतों को एकजुट किया जाएगा। इस योजना ने जो रफ्तार पकड़ी वह एक समान नहीं रही और उतार–चढ़ाव भरी रही है।

इंडिया–गठजोड़ को आगे ले जाने की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए छोटी–छोटी या क्षेत्रीय राजनैतिक दलों को उदारता या सहजता के साथ लेने की जिम्मेवारी भी कांग्रेस को उठानी थी जिसमें कांग्रेस असहज ज्यादा बार देखी गयी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के परिणाम तथा आम लोकसभा के चुनाव नतीजे जो इन्हें राज्यों के हैं में कांग्रेस की हठधर्मिता स्पष्ट रूप से आड़े आई। कांग्रेस का ऐसा रवैया अक्सर सामने आ जाया करता है। इस कारण इंडिया गठजोड़ की सफलता आशानुकूल नहीं देखी जा रही है। कांग्रेस की कम उदारता इंडिया गठजोड़ के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। जम्मू व कश्मीर तथा हरियाणा विधानसभाओं के नतीजों में ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधासभाओं के आसन्न चुनावों में कांग्रेस को अपनी कमियों को दूर करना होगा जिससे नतीजे आशानुकूल आएं।

सीखें जो ग्राह्य हैं

देश में ऐसे 10 से 11 राज्य हैं जहां भाजपा और कांग्रेस सीधे सीधे मुकाबले में रहते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियां वहां नहीं हैं। चुनाव प्रबंधन क्षमता में भाजपा, कांग्रेस से बहुत सशक्त रही है। उसे हार कर जीतना आता है जबकि कांग्रेस को जीत कर हारना आता है। सत्ता विरोधी लहर को दबाना कठिन होता है परन्तु भाजपा ने ऐसा कर दिखा। हरियाणा में किसानों की नाराजगी को समाप्त करने हेतु 'अपना फसल अपना एप' चलाकर भाजपा ने किसानों को रिझाया। युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर जारी गुस्से को कुछ नियंत्रित किया तथा लोकसभा

शेष पेज 2 पर...

गाजा में युद्ध समाप्त करें, फिलिस्तीन के साथ एकजुटता

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम के आह्वान के साथ पूरे देश में 7 अक्टूबर को एकजुटता व्यक्त किया और फिलिस्तीन के लड़ाकू लोगों के साथ अपनी एकजुटता पर फिर से जोर दिया।

7 अक्टूबर को गाजा में इजरायल के नरसंहार युद्ध का एक साल पूरा हो गया। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल के भीतर हमास के हमले का बदला लेने के नाम पर, इजरायली सशस्त्र बलों ने गाजा में फिलिस्तीनियों पर क्रूर और अंधाधुंध हमला किया है। इस युद्ध के

परिणामस्वरूप लगभग 42,000 फिलिस्तीनी, मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। हजारों लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। इजरायल ने अपने बर्बर हवाई और जमीनी बमबारी से आवासीय भवनों, स्कूलों और अस्पतालों को भी नहीं बख्शा है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट का अनुमान है कि इजरायल के आक्रमण से (6 अगस्त तक) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों मौतों को मिलाकर मरने वालों की संख्या 85,000 से अधिक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने इस साल जनवरी में इजरायल की कार्रवाइयों को संभावित नरसंहार की ओर ले जाने वाला करार दिया था और इजरायल से गाजा में सैन्य कार्रवाई बंद करने का आह्वान किया था। इजरायल

शेष पेज 7 पर...

संपादकीय

जेल मैनुअल में जारी जाति–आधारित प्रावधानों पर सर्वोच्च न्यायालय का सराहनीय निर्णय

कैदियों के मौलिक अधिकारों पर सक्रिय होकर जेल मैजुअल में संशोधन, जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक रूप से सजग हो उठा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि जेलों में जाति आधारित श्रम विभाजन असंवैधानिक है। भारत की सुधार प्रणाली में औपनिवेशिक युग की पुरानी मान्यताओं और पुर्वाग्रहों को समाप्त करने की दिशा में यह एक प्रभावकारी कदम है।

इस हेतु सर्वाच्च न्यायालय ने राज्य जेलों में नियमावली के अनेक जाति मूलक या आधारित भेदभावजनक प्रावधानों कोा निरस्त कर दिया है क्योंकि इस प्रकार कैदियों के मौलिक आधिकारों का हनन हो रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हाशिए पर रह रहे समुदायों को आपराधिक जनजाति के रूप में घोषित कर दिया गया था जिससे आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 काा बल प्राप्त था। यह सब त्रुटिपूर्ण सोच पर आधारित था कि ये सब आदतन अपराधी हैं। इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायलय ने निरस्त कर दिया है। वर्ष 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन्हें विमुक्त जाति के रूप में घोषित किया था। इनमें से कुछ समुदाय खानाबदोश व कुछ अर्द्ध खाना बदोश समुदाय हैं जो प्रत्येक समान पर एक स्थान पर न रहकर घूमते रहते हैं।

ऐतिहासिक तौर पर खानाबदोश जनजातियां (विमुक्त जनतियां) कभी भी निजी भूमि पर घर का स्वामित्व प्राप्त नहीं करते थे। न्यायालय ने कहा कि निरंतर वर्गीकरण औपनिवेशिक युग के जाति–आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है जिससे ये सामाजिक व आर्थिक बदहाली के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार ये समुदाय सबसे कमजोर और विपन्न है। जबकि अधिकांश डीएनटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में फैले हुए हैं तथा कुछ डीएनटी तो इन श्रेणियों में भी नहीं रखे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि जाति को वर्गीकरण मानदंड के रूप में तभी प्रयुक्त किया जा सकता है जब इसमें जाति आधारित भेदभाव पीड़ितों को लाभ हो जिसे जाति आधारित सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) के रूप में जाना जाता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाशिए पर पड़े समुदायों के विरूद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के भेदभाव पर प्रकाश डाला है। निम्न जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का कार्य सौंपना, जबकि उच्च जातियों को खाना पकाने जैसे कार्यो की अनुमति देना अनुच्छेद 15 (1) के तहत प्रत्यक्ष भेदभाव की स्पष्ट उदाहरण है। इन समुदायों को अधिक कुशल या सम्मानजनक कार्य प्रदान करने के बजाए पारंपरिक भूमिकाओं के आधार पर कुछ कार्य सौंप देने से अप्रत्यक्ष भेदभाव पैदा होता है।

जीवन जीने के बेहतर तौर–तरीके, भागने की स्वाभाविक प्रकृति तथा आदतन व्यवहार के अनुसार कैदियों में भेदभाव करना अनुचित व समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाया और भोजन को उपयुक्त जाति द्वारा पकाने या कुछ समुदायों को तुच्छ कार्य सौंपने की अनिवार्यता का कृत्य अस्पृश्यता के रूप में माना जाना चाहिए तथा यह सब अनुच्छेद (17) के अन्तरगत रोका गया है। हाशिए पर पड़े कैदियों के सुधारपर प्रतिबंध लगाने वाले जेल के नियम उनके जीवन के अधिकार को उल्लंघन करते हैं। इस तरह वे समान व्यवहार नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेद मूलक कारकों को समाप्त करने हेतु तीन माह का समय जेल मैनुअल व नियमावली को सुधार करने के लिए दिया गया है।

न्यायालय का उक्त निर्णय का आधार एक पत्रकार सुकन्या शांथा को जाता है जिनके लेख में वर्णित तथ्यों का बल लेकर अदालत में आवेदन दर्ज हुआ था। उन्हें धन्यवाद है। सर्वोच्च न्यायालय ने भेदभाव मूलक नियमों को समाप्त किया है तथा इस निर्णय को जेलों में वास्तविक समानता प्राप्त करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।

जाति संदर्भों को हटाया जाएगा, पुरातन परिभाषाओं को संशोधित किया जाएगा और हाशिए पर पड़े समुदायों के विरूद्ध प्रयुक्त पूर्वाग्रहों को अनिवार्य रूप से मिटाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की भूरि–भूरि सराहना है जिसने सभी कैदियों के लिए सम्मान, निष्पक्षता का व्यवहार और सकारात्मक सुधारको प्रबल कर दिया है। इस प्रकार देश में न्यायापूर्ण, समावेशी सुधार का दौर तेज होगा तथा कमजोर पड़ी सामाजिक न्याय की प्रक्रिया बलवती हो जाएगी।

प्रभावकारी योजना और संयुक्त प्रयास से...

पेज 1 से जारी...

चुनाव में हारी हुई 5 लोकसभा सीटों को कुछ भरपाई तीसरी बार भाजपा हरियाणा में जीत प्राप्त कर गई है। एक अन्य विश्लेषण के अनुसार कांग्रेस की कर्नाटक राज्य की शानदार जीत के बाद कर्नाटक विधानसभा के नतीजों की लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में पुनरावृत्ति नहीं हो पाई। इंडिया गठजोड़ की प्रमुख घटक पार्टी कांग्रेस है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों ही विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव के नतीजे घोर निराशाजनक रहे हैं अन्यथा आज परिस्थितियां कुछ और होतीं। अगली सीख मतदाताओं, विशेषरूप से ग्रामीण मतदाताओं को लेकर है कि ग्रामीण मतदाताओं वास्तव में सार्वभौम स्वरूप में है जिन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है, जिन्हें खैरात पर नहीं समझा या आंका जा सकता है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि एक चुनाव को अगले चुनाव में न तो जोड़ा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। यही हमारे लोकतंत्र की जीवन्तता और खूबसूरती है।

भारतीय मतदाता हर चुनाव को अलग नजरिए से लेता है तथा अपनी बुद्धि आधारित चुनावी मेधा का परिचय देता है। राजनेता और राजनीतिक दल इस विशिष्टता को लगातार देखते रहे हैं। चुनाव के ठीक पूर्व मतों के ध्रुवीकरण को धार्मिक आधार पर करने का कृत्य भाजपा स्थायी रूप से अपनाती रही है। भाजपा की विभाजनकारी राजनीतिक कृत्य का सही–सही निदान देश की विपक्षी पार्टियों के पास अभी तक नहीं है। धार्मिक व साम्प्रदायिक विभाजन को रोकने काा सशक्त उपाय चाहिए।

आगे का मार्ग

हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी व राज्य के प्रमुख नेता हुड्डा ने जो नैरेटिव (आख्यान) तैयार किया वह काम नहीं आया। श्री मोदी व भाजपा की हरियाणा में मिली जीत बहुत महत्व की है क्योंकि इस तरह भारतीय जन मानस में गवाएं अपने स्थान को वह हासिल करने की ओर बढ़ने लगी है। आम लोकसभा चुनाव में हम सबने स्पष्ट रूप से सत्ता विरोधी, मोदी विरोधी परिवर्तन कामी बयार को महसूस किया था। धीरे–धीरे चमक खोते जा रहे मोदी मैजिक को देख रहे थे। परन्तु हरियाणा से प्राप्त छोटी सी ऊर्जा के स्रोत को श्री मोदी व भाजपा भुनाएंगी तथा आसन्न महाराष्ट्र तथा झारखंड विधानसभा के चुनाव में अपनी परिस्थिति को सुधारने में लग चुकी है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवम्बर तथा झारखंड में दो चरण में 13 व 20 नवम्बर को विधानसभा चुनाव की तिथियां रख दी गई हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटें व झारखंड में 81 सीटें हैं। महाराष्ट्र में झारखंड की सीटों से तीन गुना से अधिक सीटें हैं फिर भी एक ही चरण में चुनाव कराया जाना संदेह उत्पन्न करता है कि सम्भाव्य षड्यंत्र की आशंका पैदा करता है। मोदी तथा राहुल दोनों के भविष्य के लिए इन दोनों विधानसभाओं के नतीजे विशेष प्रभाव डालेंगे तथा भविष्य की भूमिका तय करेंगे।

कांग्रेस नीत इंडिया गठजोड़ के बाद विपक्ष के बिखरे 63 प्रतिशत मतों को एकजुट करने की महती जिम्मेदारी है तथा स्पष्ट रूप से देश की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बनावट को बचा लेने की भी जिम्मेदारी है।

आम लोकसभा चुनाव में और अभी सम्पन्न हुए हरियाणा और जम्मू व कश्मीर विधानसभा चुनाव में मोदी विरोधी लहर के दर्शन हुए हैं। इवीएम छेड़छाड़ की घटना फिर होगी, साम्प्रदायिक कार्ड भाजपा फिर खेलेगी और सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग फिरसे होगा तथा चुनाव आयोग खामोश रहकर सत्ता पक्ष के अनुकूल ही रवैया अपनाएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर सजग रूप से मतदाताओं को इस बात के लिए समझाएं कि ज्यादासे ज्यादा लोग मत दें और 'एनडीए' और 'इंडिया' को मिलने वाले मतों में ज्यादा फर्क हो तथा सत्ता दल की धोखाधड़ी को असरहीन किया जा सके। ठोस योजनाओं और संयुक्त प्रयास से भाजपा को परास्त किया जा सकता है तथा 'इंडिया–गठजोड़' के भविष्य को संवाराजा सकता है।

अतीत से विराम, श्रीलंका में एक नई शुरुआत

23 सितंबर, 2024 को श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में अनुरा कुमारा दिसानायके का शपथ ग्रहण ऐतिहासिक महत्व की एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह राजनीतिक सत्ता के वर्ग आधारों में एक नाटकीय बदलाव का प्रतीक है–गैर–अभिजात वर्गीय सामाजिक ताकतों के एक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक गठबंधन से। यदि 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका के चुनावी लोकतंत्र ने प्रमुख अभिजात वर्ग को राजनीतिक सत्ता में निरंतर निरंतरता की गारंटी दी थी, तो इसने अब अतीत से विराम पैदा किया है, लोकतंत्र और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी–कभी जादू का एक क्षण पैदा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, चुनाव परिणाम सत्ता के शांतिपूर्ण और रक्तहीन हस्तांतरण का भी प्रतीक है। नए राष्ट्रपति ने सरकार की भ्रष्ट और सड़ी हुई प्रणाली को सुधारने के वादे के साथ अपना लोकप्रिय जनादेश प्राप्त किया, जो लगभग सात दशकों से विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक वर्गों का जन्मसिद्ध अधिकार बना हुआ था। लोकतंत्र के माध्यम से संस्थागत रूप से स्थापित राजनीतिक सत्ता का वर्ग एकाधिकार अब खुद डेमो द्वारा ही तोड़ दिया गया है।

संक्रमण और राजनीतिक उत्थान

नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी), वह राजनीतिक आंदोलन जिसका नेतृत्व श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कर रहे हैं, का इतिहास छोटा लेकिन परिवर्तनकारी है। इसका गठन 2019 में जनता विमुक्ति पेरमुना (जेवीपी–पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट) के चुनावी मोर्चे के रूप में एक उदारवादी और मध्यमार्गी सुधार विचारधारा के साथ किया गया था। श्री दिसानायके उस वर्ष एनपीपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। 2019 तक, वे जेवीपी का नेतृत्व कर रहे थे। जेवीपी का गठन 1960 के दशक में हुआ था, जो दुनिया भर में नए वामपंथ का दौर था। जेवीपी एक वामपंथी कट्टरपंथी भूमिगत आंदोलन के रूप में उभरा, जो क्रांतिकारी समाजवाद के दक्षिण एशियाई संस्करण को स्थापित करने के लिए सशस्त्र संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उभरा। दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में इसी तरह के कट्टरपंथी आंदोलनों के समानांतर, जेवीपी की शुरुआती विचारधारा और राजनीतिक कार्यक्रम मार्क्सवाद और माओवाद से प्रभावित थे।

जेवीपी ने 1971 और 1987–89 में दो सशस्त्र विद्रोह किए। पिछले सशस्त्र संघर्ष में भारी पराजय के बाद, जेवीपी नेताओं की एक नई पीढ़ी, जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से समाजवाद के लक्ष्य को त्याग दिया था, ने जेवीपी को संसदीय दल में बदल दिया। श्री दिसानायके चुनावी और संसदीय राजनीति के माध्यम से समाजवाद के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध 'जेवीपी–एर्स' के इस नए समूह से संबंधित हैं।

जेवीपी के लोकतांत्रिक राजनीति में परिवर्तन से संसदीय सीटों के मामले में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। अधिकांश मामलों में, यह एक छोटी विपक्षी पार्टी बनी रही। दो मुख्य दलों, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) और यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के साथ चुनावी गठबंधन बनाने के इसके प्रयोगों ने जेवीपी को श्रीलंका की प्रमुख दो–प्रणाली में 'तीसरी ताकत' बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम नहीं बनाया। 2019 में एक सामाजिक रूप से व्यापक और वैचारिक रूप से गैर–रूढ़िवादी एनपीपी का गठन जेवीपी नेतृत्व की इस राजनीतिक गतिरोध की प्रतिक्रिया थी जिसका उसे बार–बार सामना करना पड़ा। 2019 में राष्ट्रपति चुनाव और 2020 में संसदीय चुनावों में एनपीपी की भागीदारी के बावजूद, यह केवल 3 प्रतिशत से अधिक वोट और तीन संसदीय सीटें ही हासिल कर सका। दो घटनाक्रमों से उत्प्रेरित एनपीपी का एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनने के लिए तेजी से बढ़ना, पारंपरिक यूएनपी और एसएलपीपी को कमजोर करना और 2024 में नई सत्तारूढ़ पार्टी होने का सफलतापूर्वक दावा करना दो घटनाक्रमों का प्रत्यक्ष परिणाम है। पहला आर्थिक संकट है जो 2020 में कोविड–19 महामारी के कारण और बढ़ गया। दूसरा गहरा सामाजिक और राजनीतिक संकट है जो 2022 में अरागालय या नागरिकों के विरोध आंदोलन के रूप में सामने आया। इस बीच, 2023 से श्रीलंका सरकार द्वारा

मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित कठोर मितव्ययिता कार्यक्रम के माध्यम से ;ण संकट के प्रबंधन ने रानिल विक्रमसिंघे प्रशासन के खिलाफ व्यापक सामाजिक असंतोष और गुस्सा पैदा किया। लोगों ने नई कर नीतियों और कल्याण कार्यक्रमों को खत्म करने को नीतिगत उपायों के रूप में देखा, जिससे अमीर और धनी व्यापारी वर्ग को फायदा हुआ, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के आर्थिक अस्तित्व का संकट और बढ़ गया।

बढ़ती गरीबी, आय असमानता और संपन्न तथा वंचितों के बीच बढ़ते ध्रुवीकरण ने लोगों की राजनीतिक निष्ठाओं में स्पष्ट बदलाव पैदा किया है–पारंपरिक कुलीन दलों से दूर। यह इस संदर्भ में है कि भ्रष्टाचार मुक्त और गरीब समर्थक सरकार के लिए एनपीपी के सुधार प्रस्ताव को शहरी और ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। श्री दिसानायके और एनपीपी के लिए दो साल के भीतर इतनी तेजी से एक अग्रणी सुधारवादी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने के लिए राजनीतिक स्थान पहले से ही अरागालया द्वारा बनाया गया था। 'व्यवस्था परिवर्तन' का इसका शक्तिशाली नारा और भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद और अत्याचारी सरकार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध राजनेताओं की एक नई पीढ़ी के लिए इसकी उम्मीदें, श्रीलंका की राजनीति, राजनीतिक संस्कृति और शासन के तरीकों को सुधारने के एनपीपी के एजेंडे के साथ पूरी तरह से फिट बैठती हैं। इस प्रकार, श्री दिसानायके की जीत अरागालया का थोड़ा विलंबित राजनीतिक परिणाम है। श्रीलंका की सबसे नई सत्तारूढ़ पार्टी बनने की एनपीपी की तीव्र यात्रा, समागी जन बालवेगया (एसजेबी–यूनिफाइड पीपुल्स फोर्स) के प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मजबूत होने के साथ मेल खाती है। श्रीलंका की संसदीय और चुनावी राजनीति में एनपीपी और एसजेबी की संयुक्त उपस्थिति श्रीलंका की राजनीतिक पार्टी प्रणाली में भी बड़े बदलाव की शुरुआत का संकेत देती है। यूएनपी और श्रीलंका पोदुजना पेरमुना (एसएलपीपी), तीन मुख्य राजनीतिक दल, जिनकी स्थापना और प्रबंधन श्रीलंका के अभिजात वर्ग के राजनीतिक वर्ग द्वारा किया गया था, इतने कमजोर हो गए हैं कि वे केवल छोटे विपक्षी दल ही रह गए हैं। इस प्रकार, श्रीलंका में राजनीतिक ध्रुवीकरण का उभरता ढांचा एनपीपी और एसजेबी के बीच प्रतीत होता है एसजेबी, एक जन पार्टी के रूप में यूएनपी के पतन के कारण पैदा हुई दक्षिणपंथी पार्टी की जगह को भर रहा है।

काम पर लगना आसान नहीं होगा

नए राष्ट्रपति के सामने कई असामान्य चुनौतियाँ और कार्य होंगे। चूँकि संसद में उनके केवल तीन सांसद हैं, इसलिए नए राष्ट्रपति के लिए समय से पहले संसदीय चुनाव कराना एक बड़ी अनिवार्यता है। अपनी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मंत्रिमंडल बनाने की संभावना है। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कार्यवाहक मंत्रिमंडल में तीन अन्य मंत्री होंगे। संसद का विघटन संभवतः पहले या अगले सप्ताह हो जाएगा, ताकि आदर्श रूप से नवंबर के अंत में चुनाव कराए जा सकें।

अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए नए राष्ट्रपति को 113 से अधिक सांसदों के आरामदायक संसदीय बहुमत की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति चुनाव ने स्पष्ट रूप से उनके चुनावी आधार में एक बड़ी कमी को उजागर कर दिया है। तमिल और मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी वाले जिलों में एनपीपी की उपस्थिति कमजोर है। तथ्य यह है कि श्री दिसानायके की जीत मुख्य रूप से सिंहली मतदाताओं द्वारा सुनिश्चित की गई है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। एनपीपी को जातीय रूप से बहुलवादी बनाने से एनपीपी सरकार श्रीलंका के सभी जातीय और सांस्कृतिक समुदायों को शामिल करने में सक्षम होगी, साथ ही उसे स्पष्ट संसदीय बहुमत भी मिलेगा।

दो अन्य कार्य नए राष्ट्रपति और उनकी सरकार के संकल्प और क्षमताओं का परीक्षण करेंगे। पहला कार्य देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास के रास्ते पर वापस ले जाते हुए बाहरी ऋण का भुगतान करना है, इस बार सामाजिक न्याय और समानता को मानक सामाजिक लक्ष्यों के रूप में अपनाना है। इसके लिए पिछली सरकार द्वारा आईएमएफ के साथ सहमति जताए गए मितव्ययिता कार्यक्रम पर फिर से काम करने की आवश्यकता होगी। प्रभावित लोगों के बड़े हिस्से द्वारा सामाजिक असंतोष और विरोध की पुनरावृत्ति को रोकने का यही एकमात्र तरीका है।

दूसरा मुद्दा सार्वजनिक जीवन और शासन की संस्ति को शुद्ध करने के बारे में है। श्री दिसानायके ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली के लिए पैदा की गई उम्मीदों के बल पर राष्ट्रपति पद जीता। चुनाव अभियान में भ्रष्टाचार को खत्म करना आसान है, लेकिन चुनाव के बाद वास्तव में ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक अत्यधिक संस्थागत, अंतर्राष्ट्रीय और परिष्त पेशा है। फिर भी, भ्रष्टाचार का मुद्दा नए राष्ट्रपति की राजनीतिक सफलता के साथ–साथ उनकी विश्वसनीयता की भी महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।

लोगों को नए राष्ट्रपति से जो उम्मीद है, वह एक नई शुरुआत है जो 'वास्तविक बदलाव' (सिंहल में सबा वेनसाक) की ओर ले जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में, श्रीलंका के लोगों ने शासन करने वाले लोगों में असामान्य रूप से आमूलचूल परिवर्तन करके इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। अब यह राष्ट्रपति दिसानायके और उनकी एनपीपी सरकार पर निर्भर है कि वे यह साबित करें कि वे – गैर–अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि – बेहतर शासक और बेहतर लोकतंत्रवादी हैं, जो 'वास्तविक बदलाव' के लिए लोगों की अपेक्षाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

(प्रो. जयदेव उयांगोडा, राजनीति विज्ञान के प्रख्यात प्रोफेसर, कोलंबो विश्वविद्यालय, श्रीलंका)

सी.टी.यू. ने रोजगार से जुड़ी समस्याओं पर मंत्री को लिखा पत्र...

पिछले अंक से जारी...

बी) यह दावा कि रोजगार से जुड़ी ये प्रोत्साहन योजनाएँ नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों की भर्ती करने या नई नौकरियाँ पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, शायद सही न हो। नियोक्ताओं की एक बड़ी संख्या पहले से ही पात्र कर्मचारियों को ईपीएफओ के तहत पंजीकृत किए बिना ही काम पर रखती है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने लंबे समय से इस चिंता को उठाया है, जिसमें श्रमिकों के प्रति अपने बुनियादी वैधानिक दायित्वों के बारे में निजी नियोक्ताओं की कम से कम आंशिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और सख्त निरीक्षण तंत्र की वकालत की गई है। दुर्भाग्य से, नियोक्ताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए यह आवश्यक उपकरण नए श्रम संहिताओं के तहत और भी कमजोर हो गया है। नतीजतन, वर्तमान में कार्यरत लेकिन अपंजीकृत श्रमिकों के एक हिस्से को ईपीएफओ में नामांकित करने से नियोक्ताओं को नई नौकरियाँ पैदा किए बिना ही योजना का लाभ उठाने की अनुमति मिल सकती है।

सी) एक महत्वपूर्ण चिंता यह है कि कंपनियों को इन योजनाओं का लाभ उठाना जारी रखने के लिए हर साल नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी। इससे अनिवार्य रूप से एक या दो साल बाद ही श्रमिकों की छंटनी हो जाएगी और प्रभावी रूप से उन्हें निश्चित अवधि के कर्मचारी के रूप में माना जाएगा। इस तरह की प्रथा उभरते कार्यबल की बड़े पैमाने पर भर्ती और बर्खास्तगी के चक्र को खराब करेगी, दीर्घकालिक नौकरी सुरक्षा को बढ़ावा देने के बजाय अस्थायी या निश्चित अवधि के रोजगार मॉडल को मजबूत करेगी। यह दृष्टिकोण शुद्ध रोजगार सृजन और नौकरी की स्थिरता को कमजोर करता है।

डी) इंटर्नशिप योजना ★ 56,000 करोड़ सीधे शीर्ष 500 कंपनियों को हस्तांतरित करेगी, जिससे उनकी श्रम लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सब्सिडी देगा। इसके साथ ही, यह 1961 के अप्रेंटिस अधिनियम और अन्य वैधानिक सुरक्षा जैसे श्रम कानूनों को दरकिनार करने के साधन के रूप में इंटर्नशिप का उपयोग करते हुए असुरक्षित परिस्थितियों में श्रमिकों की तैनाती को बढ़ावा देता है।

ई) यह रोजगार संबंधों को और अधिक नाजुक बना देगा, जहां स्वचालन और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक ज्ञान और तेजी से सीखने के कौशल के साथ प्रशिक्षुओं के नए बैचों पर उत्पादन प्रक्रिया की पूरी मुख्य जिम्मेदारी का बोझ होगा, लेकिन उन्हें बुनियादी वैधानिक वेतन, लाभ और अधिकारों से वंचित किया जाएगा।

एफ) यह प्रवृत्ति रोजगार संबंधों को और भी अधिक अस्थिरता की ओर ले जाएगी, जहां स्वचालन और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक ज्ञान और तेजी से सीखने की क्षमता से लैस नए प्रशिक्षु मुख्य उत्पादन जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हालांकि, उन्हें बुनियादी वैधानिक वेतन, लाभ और अधिकारों से वंचित किया जाएगा, जिससे भारत के कार्यबल के लिए रोजगार की गुणवत्ता और सुरक्षा और कम हो जाएगी। हम सरकार से नौकरी की स्थिरता और श्रम अधिकारों पर इन योजनाओं के दीर्घकालिक प्रभावों पर पुनर्विचार करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए उपाय अनिश्चित कामकाजी परिस्थितियों को कायम न रखें।

जी) प्रस्तावित योजनाएं एक सतत चक्र बनाने का जोखिम उठाती हैं जहां बेरोजगार या व्यावसायिक रूप से शिक्षित युवाओं का एक बड़ा भंडार हर साल बाहर जाने वाले श्रमिकों की जगह लेने के लिए इंतजार कर रहा है। बेरोजगारी को सही मायने में संबोधित करने के बजाय, ये योजनाएँ केवल शीर्ष 500 निजी कंपनियों के लिए सब्सिडी सर्किट का विस्तार करती हैं। आर्थिक प्रोत्साहन के बहाने इन निगमों को सार्वजनिक धन देकर, ये योजनाएँ कार्यबल को वास्तविक लाभ पहुँचाने या रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता के बुनियादी मुद्दों को संबोधित करने के बजाय मुख्य रूप से कॉर्पोरेट हितों की सेवा करती हैं।

एच) बेंगलुरु में बीओएससीएच जैसी प्रमुख कंपनियों सहित कई कंपनियों ने ऑन–जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) योजनाओं और दीर्घकालिक प्रशिक्षु कर्मचारी (एलटीटीई) कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है, जो पहले प्रशिक्षुओं को नियमित रोजगार में संक्रमण के लिए मार्ग प्रदान करते थे। ये कार्यक्रम, एनईईएम, एनईटीएपी, एनएपीएस और एसआईटीए जैसी कौशल भारत पहलों के साथ, एक बार सक्रिय थे, लेकिन अब बड़े पैमाने पर बंद कर दिए गए हैं। नया इंटर्नशिप कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों में 500 कंपनियों के साथ प्रति वर्ष औसतन 4,000 इंटर्न की नियुक्ति करना है, नियोक्ताओं को इन इंटर्न को स्थायी पद देने की आवश्यकता नहीं है। दायित्व की यह कमी मौजूदा ओजेटी योजनाओं को खत्म करने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है और प्रशिक्षुओं के लिए स्थिर, दीर्घकालिक रोजगार हासिल करने के अवसरों को और कम कर सकती है। इस योजना में कई खामियाँ हैं जो नियोक्ताओं को अपने बुनियादी दायित्वों से बचने में सक्षम बनाती हैं, जबकि यह पूरी तरह से सार्वजनिक निधियों द्वारा वित्तपोषित है। बिना किसी सख्त निगरानी के योजना के उद्देश्यों के प्रति नियोक्ताओं के पालन पर निर्भर रहना इसकी प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। टिकाऊ, गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाय, ईएलआई योजना विनिर्माण क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की प्रवृत्ति को बढ़ाने की अधिक संभावना है, अपने वादों को पूरा करने में विफल है और अंततः श्रमिकों के लिए दीर्घकालिक नौकरी सुरक्षा की कीमत पर कश्वर्पोरेट हितों को लाभ पहुँचाती है।

आई) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं (वीआरएस), शीघ्र सेवानिवृत्ति योजनाओं (ईआरएस) और रोजगार पृथक्करण योजनाओं (ईएसएस) के माध्यम से नियमित कर्मचारियों को निश्चित अवधि के कर्मचारियों से बदलने का बढ़ता चलन बेहद चिंताजनक है। यह प्रथा, विशेष रूप से देश भर में कश्वर्पोरेट विनिर्माण क्षेत्र में प्रचलित है, जिससे अनिश्चित और अस्थिर नौकरी की स्थिति में वृद्धि हो रही है। निश्चित अवधि के अनुबंधों की ओर बदलाव न केवल नौकरी की सुरक्षा को कमजोर करता है बल्कि एक अधिक अस्थिर और अनिश्चित रोजगार परि श्य में भी योगदान देता है, जिससे कार्यबल अस्थिर होता है और दीर्घकालिक रोजगार की संभावनाएं कम होती हैं। सार्वजनिक धन को निजी कॉर्पोरेट खजाने में पुनर्निर्देशित करने से बेरोजगारी संकट का समाधान नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय अवैतनिक या कम वेतन वाले श्रम के उपयोग का विस्तार करके उत्पादन से जुड़े मुनाफे को बढ़ावा मिलेगा। ईएलआई और इंटर्नशिप योजनाएं कश्वर्पोरेट्स के निपटान में मुफ्त श्रम डाल देंगी

लोगों की घटती क्रय शक्ति के कारण कुल मांग में जारी गिरावट, शुद्ध बिक्री को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है और उत्पादन से जुड़े मुनाफे को कम कर रही है। यह प्रवृत्ति उत्पादक गतिविधियों में निजी निवेश को हतोत्साहित कर रही है। इसके बजाय, कॉर्पोरेट आय को रोजगार सृजन निवेशों की बजाय सट्टा और अधिग्रहणकारी उपक्रमों की ओर मोड़ा जा रहा है। जबकि सरकार निगमों को सब्सिडी दे सकती है, ऐसे उपायों से अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति या लोगों की स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है। वास्तव में, ये योजनाएँ मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा सकती हैं और आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति को और खराब कर सकती हैं। इस प्रकार, ये योजनाएँ, जिन्हें कश्वर्पोरेट नेताओं द्वारा श्जीत–जीतश के रूप में प्रचारित किया जाता है, निजी निवेश या वास्तविक रोजगार सृजन में वृद्धि की संभावना नहीं है। वास्तव में, वे मुख्य रूप से निगमों को लाभ पहुँचाते हैं जबकि राष्ट्र की व्यापक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। हमारे देश के कामकाजी लोगों और बेरोजगार युवाओं के लिए, ये योजनाएँ जीत नहीं बल्कि आर्थिक कठिनाई और नौकरी की असुरक्षा को बढ़ाती हैं। हमने कृषि संकट से निपटने के लिए लगातार महत्वपूर्ण उपायों की वकालत की है, जिसमें लाखों लोगों की आजीविका की रक्षा करना, कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर मनरेगा के लिए धन बढ़ाना और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, हमने शहरी बेरोजगारी से निपटने के लिए शहरी विकास रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सेवा भूमिकाओं में रिक्त स्वी त पदों को तत्काल भरने का आह्वान किया है।

नेल्सन मंडेला ने सही कहा है कि 'जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक यह असंभव लगता है।' हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची प्रगति आवंटित धन से नहीं, बल्कि जीवन को ऊपर उठाने और रोजगार सृजन से मापी जाती है। हमारी नीतियों का महत्व लोगों की सेवा करने की उनकी क्षमता में निहित है, न कि केवल कश्वर्पोरेट बैलेंस शीट में। हम श्रम मंत्रालय से युवा बेरोजगारी संकट को दूर करने की दिशा में एक आवश्यक पहले कदम के रूप में इन मांगों को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। इन मुद्दों पर तत्काल और केंद्रित कार्रवाई सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करने और हमारे कार्यबल की आर्थिक स्थिरता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। (पत्र पर आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी के नेताओं ने हस्ताक्षर किऐ हैं।)

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की दक्षिण भारत बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुई

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 7 और 8 अक्टूबर को गांधी भवन, बेंगलुरु में दो दिवसीय दक्षिण भारत नेतृत्व बैठक आयोजित की। इस महत्वपूर्ण बैठक में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 300 किसान नेताओं ने भाग लिया। एसकेएम के राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य दर्शन पाल, कृष्ण प्रसाद, डा. सुनीलम, विजू कृष्णन, रावुला वेंकैया, वी. वेंकटरमैया और कई अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता इस बैठक में शामिल हुए। संयुक्त होराता कर्नाटक ने इस बैठक की मेजबानी की।

दो दिवसीय बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति और आंदोलन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। आंदोलन को कैसे तेज किया जाए और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा को कैसे मजबूत किया जाए, इस बारे में सभी किसान संगठनों से राय ली गई। राज्यों से 68 प्रमुख सुझाव आए जिन्हें राष्ट्रीय सचिवमंडल को भेजा गया।

दक्षिण एस.के.एम. बैठक के निर्णय

दक्षिण के किसान संगठनों का मुख्य फोकस राज्य स्तर पर एस.के.एम. को मजबूत करना और अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू करना है। इसे संभव बनाने के लिए प्रत्येक राज्य 15 नवंबर 2024 के भीतर राज्य के सभी किसान संगठनों की नेतृत्व बैठक/सम्मेलन आयोजित करेगा।

मुख्य मांगों के आधार पर अधिकतम किसान और कृषि श्रमिक संगठनों के साथ समन्वय करना और उन्हें शामिल करना– प्रत्येक एस.सी.सी. को किसानों और कृषि श्रमिकों की व्यापक एकता के लिए नीति तैयार करनी होगी –

सभी फसलों के लिए गारंटीकृत खरीद के साथ एम.एस.पी./सी2+50 प्रतिशत, व्यापक ऋण माफी, बिजली का निजीकरण न करना, फसल बीमा सार्वजनिक करना और किसान पेंशन जैसी मुख्य मांगें – अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ संबंधित राज्य इकाइयों द्वारा स्थानीय मांगों को जोड़ा जाएगा –

26 नवंबर 2024 को जिला स्तर पर होने वाली सामूहिक कार्रवाई को दक्षिण भारत के इतिहास में उल्लेखनीय बनाएं। 16 अक्टूबर 2024 को जी.बी. की बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है। यह जी.बी. आंदोलन की आगे की दिशा तय करेगी। दक्षिण की सभी राज्य इकाइयों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक राज्य से कम से कम दो सदस्य भेजें।

तत्काल राज्यों को लेकर विशेष जोर

एसकेएम दक्षिण भारतीय नेतृत्व बैठक ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ने का संकल्प लिया। बैठक में सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया कि:

विभिन्न राज्यों में 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके अंधाधुंध भूमि हड़पने को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। हम जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विभिन्न राज्यों में किसानों और लोगों के संघर्षों का समर्थन करते हैं। एसकेएम कर्नाटक के चन्नारायपट्टन और तमिलनाडु और भारत के अन्य हिस्सों में संघर्षों के बहादुर संघर्षों को सलाम करता है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग और राज्य कृषि मूल्य आयोगों को किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल करके वैधानिक निकाय बनाया

जाना चाहिए और एमएसपी / सी2+50 के साथ–साथ सुनिश्चित खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पीडीएस, आईसीडीएस और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए अनाज सीधे किसानों से एमएसपी पर खरीदा जाना चाहिए। कर्नाटक जैसे राज्यों में सीलिंग हटाने और कॉरपोरेट को कृषि भूमि पर कब्जा करने की अनुमति देने के लिए भूमि सुधार अधिनियम में किए गए बदलावों को वापस लिया जाना चाहिए। कृषि उपज मंडियों को मजबूत किया जाना चाहिए और राज्यों को किसानों पर किसी भी बाजार कर या उपकर को माफ करना चाहिए। निजी साहूकारों और माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थानों द्वारा शोषण को रोका जाना चाहिए। गरीब किसानों, भूमिहीनों, कृषि श्रमिकों और किरायेदारों को ब्याज मुक्त ऋण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फिलिस्तीन पर विशेष प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चा इजरायल सरकार के नरसंहार की कड़ी निंदा करता है और फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है। इजरायल व्यापक नरसंहार के कृत्यों का दोषी है, जिसमें असहाय महिलाओं और बच्चों का नरसंहार भी शामिल है। एसकेएम इजरायल सरकार को भारत सरकार के समर्थन का भी कड़ा विरोध करता है, जो इजरायल के घोर आक्रामक कृत्यों को बढ़ावा देता है।

युद्ध बंद करो। हम तत्काल और स्थायी युद्ध विराम की मांग करते हैं।

हम मांग करते हैं कि भारत सरकार इजरायल के साथ सभी हथियारों की आपूर्ति और व्यापार सौदे बंद कर दे।

हम इस तथ्य का विरोध करते हैं कि भारत सरकार हजारों भारतीय निर्माण श्रमिकों को फिलिस्तीन भेज रही है। वे वेस्ट बैंक और गाजा से फिलिस्तीनी श्रमिकों की जगह ले रहे हैं, हम इस नीति का विरोध करते हैं।

– अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के फैसलों के अनुसार इजरायली नेताओं पर उनके द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

– हम फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य की स्थापना का आह्वान करते हैं।

– हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन और उपनिवेशवाद विरोधी मुक्ति आंदोलनों की विरासत के लिए प्रतिबद्ध सभी जन आंदोलनों और राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि वे इजरायल–अमेरिकी औपनिवेशिक कब्जे से आजादी की तलाश में फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हों।

– हम सभी इजरायली उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान करते हैं। हमें भारत और दुनिया में फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान चलाना चाहिए।

– हम फिलिस्तीन के किसानों के साथ खड़े हैं जो इजरायली कब्जे के कारण विभिन्न अत्याचारों से पीड़ित हैं। उनकी जमीनें चुरा ली गई हैं और उनकी फसलें और उनके कुएं और जल प्रणालियाँ नष्ट कर दी गई हैं। किसान आंदोलन की जीत इस देश के लोगों की जीत मानवता की जीत।

गरीबी के लिए सजा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए 8,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

सं.	बैंक का नाम	राशि (करोड़ में)
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	1250.63
2	बैंक ऑफ इंडिया	827.53
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	470.79
4	केनरा बैंक	1157.89
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	587.21
6	इंडियन बैंक	1466.35
7	इंडियन ओवरसीज बैंक	19.75
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	55.24
9	पंजाब नेशनल बैंक	1537.87
10	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	640.19
11	यूको बैंक	66.44
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	414.93

(स्रोत: लोकसभा, अगस्त 2024)

एआईएफबी, एआईएएमएस, एआईवाईएल और एआईएसबी के नेताओं ने 5 अक्टूबर 2024 को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24–परगना जिले के कुलतली का दौरा किया जहां 10 वर्षीय लड़की के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार और हत्या की हुई थी।

वामपंथी दलों के आह्वान पर 7 अक्टूबर 2024 को पूरे देश में फिलिस्तीन एकजुटता दिवस मनाया गया। कोलकाता, कूचबिहार (पश्चिम बंगाल), भुवनेश्वर (ओडिशा), गुवाहाटी, सिलचर, शिवसागर (असम) में रैलियां की गई। अन्य राज्यों से रिपोर्ट का इंतजार है।

ऑल इंडिया किसान सभा (एआईएकेएस) की वाराणसी जिला (उत्तर प्रदेश) की बैठक 6 अक्टूबर 2024 को हुई और आंगनवाड़ी एवं मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के विभिन्न मुद्दों पर लखनऊ में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

एआईएफबी की महाराष्ट्र राज्य कमेटी की बैठक 6 अक्टूबर 2024 को नागपुर के रवि भवन में हुई। एआईएफबी के महासचिव कॉमरेड जी देवराजन ने भाग लिया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज करने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से कई नए कॉमरेड पार्टी में शामिल हुए, जिनमें रामटेक जिले के पूर्व मजिस्ट्रेट और लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डा. सोमदेव शामिल थे।

एआईएकेएस के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए स्वागत समिति की बैठक 6 अक्टूबर 2024 को पटना में हुई। इसमें एआईएकेएस राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष कॉमरेड गोविंद राय शामिल हुए। सम्मेलन की तैयारी जोरों पर है।

सीपीआई (एम) के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी के दुखद और आकस्मिक निधन पर बंगलौर (कर्नाटक), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और सिलचर (असम) में शोक सभाएँ आयोजित की गई। 6 अक्टूबर 2024 को क्रमशः कॉमरेड जीआर शिवशंकर, कॉमरेड उदयनाथ सिंह और कॉमरेड मिहिर नंदी ने बैठकों में भाग लिया और उन्हें संबोधित किया।

एआईएफबी के पूर्व महासचिव कामरेड चित्त बसु की 27वीं पुण्यतिथि और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कामरेड हेमंत बसु की 129वीं जयंती के अवसर पर 5 अक्टूबर 2024 को नेताजी भवन, नई दिल्ली में एक स्मारक बैठक आयोजित की गई। एआईएफबी के महासचिव जी. देवराजन और पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं ने दिवंगत नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की।

एआईएकेएस और एसकेएम ने 1 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के चित्रकूट के माचगांव में धरना आयोजित किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा।

1 अक्टूबर 2024 को पुरुलिया, पश्चिम बंगाल के विभिन्न ब्लॉकों में AIAKS रैली और धरना।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2024 में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर

2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) रिपोर्ट ने भारत को 127 देशों में से 105वें स्थान पर रखा है, जिसका स्कोर 27.3 है, जो भूख के 'गंभीर' स्तर को दर्शाता है। यह रैंकिंग भारत द्वारा अपनी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने में लगातार आने वाली चुनौतियों की एक कड़ी याद दिलाती है। जीएचआई स्कोर की गणना चार प्रमुख संकेतकों के आधार पर की जाती है: कुपोषण, बाल स्टंटिंग, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। इन क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उजागर करता है और तत्काल कार्रवाई की मांग करता है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) एक सहकर्मी–समीक्षित रिपोर्ट है, जिसे वेल्थंगरहिल्फ और कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। 2024 में, रुहर–यूनिवर्सिटी बोचुम में शांति और सशस्त्र संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्थान (आईएफएचवी) अकादमिक भागीदार के रूप में सहयोग में शामिल हो गया है जो आगे चलकर सूचकांक की गणना और विकास करेगा। जीएचआई एक ऐसा उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है। रिपोर्ट का उद्देश्य भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना, देशों और क्षेत्रों के बीच भूख के स्तर की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करना और दुनिया के उन क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करना है जहाँ भूख का स्तर सबसे अधिक है और जहाँ भूख को खत्म करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की सबसे अधिक आवश्यकता है।

कुपोषण और बाल विकास में कमी

रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की 13.7 प्रतिशत आबादी कुपोषित है, जिसका अर्थ है कि उनके पास पर्याप्त कैलोरी का सेवन नहीं है2। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि यह सीधे तौर पर आबादी के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5 प्रतिशत बच्चे विकास में कमी से पीड़ित हैं, जिसका अर्थ है कि वे दीर्घकालिक कुपोषण के कारण अपनी आयु के अनुसार कम ऊँचाई के हैं। विकास में कमी केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, इसका संज्ञानात्मक विकास और भविष्य की आर्थिक क्षमता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

बाल विकास और मृत्यु दर

बाल विकास, जिसे तीव्र कुपोषण के कारण ऊँचाई के अनुसार कम वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है, भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के 18.7 प्रतिशत बच्चों को प्रभावित करता है2। यह वैश्विक स्तर पर बाल विकास की उच्चतम दर है, जो एक गंभीर और तत्काल संकट का संकेत देती है। इसके अलावा, पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2.9 प्रतिशत है, जो अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थ वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाती है। ये आँकड़े चिंताजनक हैं और कुपोषण को दूर करने और बाल स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए व्यापक हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

आर्थिक असमानताएँ और सामाजिक असमानताएँ

भारत की कथित आर्थिक वृद्धि प्रतिशत के बावजूद, जीएचआई रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि आर्थिक असमानताएँ और सामाजिक असमानताएँ खाद्य संसाधनों तक समान पहुँच में बाधा डालती रहती हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और भूख के निम्न स्तर के बीच संबंध हमेशा प्रत्यक्ष या गारंटीकृत नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि भूख और कुपोषण के मूल कारणों को दूर करने के लिए अकेले आर्थिक विकास अपर्याप्त है। नीतियों को उचित विकास और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुँचे।

सरकारी पहल और सिफारिशें

रिपोर्ट में खाद्य और पोषण परिदृश्य को बदलने के लिए भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति को स्वीकार किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन), पीएम गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जैसी पहलों का हवाला दिया गया है। हालांकि, यह इस बात पर भी जोर देता है कि सुधार की गुंजाइश है। रिपोर्ट में बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा जाल तक बेहतर पहुंच, कृषि में निवेश और एक समग्र खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण शामिल है जो विविध, पौष्टिक और पारिस्थितिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देता है। भारत की 2024 जीएचआई रैंकिंग नीति निर्माताओं, हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक चेतावनी है। यह कुपोषण, बाल स्टंटिंग, वेस्टिंग और मृत्यु दर को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जबकि सरकारी पहल सही दिशा में एक कदम है, भूख और कुपोषण के मूल कारणों से निपटने के लिए अधिक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, 2030 तक भूखमरी को समाप्त करना एक कठिन चुनौती बनी हुई है, लेकिन समन्वित प्रयासों और सामाजिक समानता पर ध्यान केन्द्रित करने से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

अलोकतांत्रिक और संघवाद के विरुद्ध

पेज 8 से जारी...

मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होगी, जिसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य और पूरे देश में सत्ता विरोधी कारक अलग–अलग होंगे।

11. हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सहित व्यापक चुनाव सुधारों के पक्ष में हैं। हम इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी।

हम इन बिंदुओं पर अधिक व्याख्या करने में सक्षम होंगे और आपसे मिलने का अवसर मिलने पर इस महत्वपूर्ण विषय पर अधिक राय जोड़ सकेंगे।

मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से, कॉमरेड जी. देवराजन, सचिव, केंद्रीय कमेटी आपके द्वारा प्रस्तावित आगे की बातचीत के लिए 7 जुलाई या 8 जुलाई 2018 को आपके समक्ष उपस्थित होंगे। पया हमारे प्रतिनिधि को आपसे मिलने का समय बताएं। उनका फोन नंबर 9312228144 है।

एआईएफबी का भारत के विधि आयोग को एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर 11 जुलाई 2018 को लिखा गया दूसरा पत्र, जिस पर कॉमरेड देवव्रत बिस्वास, पूर्व सांसद और पार्टी के तत्कालीन महासचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रिय महोदय,

2 जुलाई 2018 को आपको संबोधित हमारे पिछले पत्र और हमारे प्रतिनिधि श्री जी देवराजन, सचिव, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी के साथ बैठक के क्रम में, मैं अपनी पार्टी की ओर से निम्नलिखित बिंदुओं को अतिरिक्त रूप से रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा ताकि हमारी राय को पुष्ट किया जा सके कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना राष्ट्र के संघीय चरित्र और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है।

1. जब दुनिया के कई लोकतंत्र गंभीरता से कानून बनाने और 'राइट टू रिकॉल' पर बहस करने में लगे हुए हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र – भारत लोकतंत्र के आदिम चरण में कैसे जा सकता है, जो लोगों को आवश्यकता पड़ने पर अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित करता है?

2. यह तर्क कि 'आचार संहिता' के लागू होने से विकासात्मक गतिविधियाँ ठप हो गई हैं। इसका कोई तर्क नहीं है। कि आचार संहिता केवल चुनाव तिथियों की घोषणा के बाद नई परियोजनाओं की पहल के लिए है। चल रही योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने में कोई रोक नहीं है। कई पार्टियां अपने चुनावी घोषणापत्रों में भी कई नई योजनाओं का वादा कर रही हैं।

3. लोकतंत्र में चुनाव लोगों की आकांक्षाओं और समाज के भविष्य के बारे में उनके विचारों को जानने का एक अवसर है। इसलिए लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

4. हमारा मानना है कि एक साथ चुनाव कराने पर मौजूदा चुनाव पद्धति की तुलना में अधिक खर्च आएगा।

5. एक साथ चुनाव पर बहस करने के बजाय, भारत के विधि आयोग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व आदि सहित व्यापक चुनाव सुधारों के बारे में भी जोर–शोर से सोचना चाहिए।

गाजा में युद्ध समाप्त करें, फिलिस्तीन...

पेज 1 से जारी...

ने अब तक युद्ध विराम के लिए सभी सार्थक वार्ता को विफल कर दिया है। इतना ही नहीं, इजरायल ने पूरे साल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमले किए हैं। इजरायल ने बम विस्फोट करने के लिए बड़े पैमाने पर पेजर और अन्य संचार साधनों का इस्तेमाल किया है, जिससे संघर्ष बढ़ता गया और लेबनान तक फैलता गया है। दुनिया भर में लाखों लोग इजरायल के नरसंहार युद्ध का विरोध कर रहे हैं और युद्ध को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं वामपंथी दलों ने भारत सरकार से इजरायल को सभी हथियारों के निर्यात को रोकने और दो–राज्य समाधान के लिए काम करने का आग्रह किया, जिससे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य अस्तित्व में आ सके। नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर एक विरोध रैली और बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रकाश करात (सीपीआई–एम), डी. राजा (सीपीआई), जी. देवराजन (फॉरवर्ड ब्लॉक), दीपांकर भट्टाचार्य (सीपीआई–एमएल), आर.एस. डागर (आरएसपी) और विभिन्न जन संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया।

RNI No.43038/1985 Postal Reg. No.: DL(C)-14/1434/2024-26 Total Page 8 Posted at : SPM, SRT Nagar PO, New Delhi-110055
Hindi Monthly Published on 25-10-2024 Posting Date: 28 & 29 of the Same Month

एक राष्ट्र–एक चुनाव:

अलोकतांत्रिक और संघवाद के विरुद्ध

केंद्र सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और उस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जबकि कई जगहों से यह आरोप लगाया जा रहा है कि 'एक देश, एक चुनाव' संघ परिवार का एजेंडा है। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर, 2023 को उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 14 मार्च 2024 को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट पेश की।

2014 से ही नरेंद्र मोदी ने 'एक देश, एक चुनाव' का नारा लगाना शुरू कर दिया था। 2020 में उन्होंने कहा, "इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह देश की अनिवार्यता है।" भाजपा के 2024 के घोषणापत्र में भी इसे दोहराया गया। हाल ही में एकल चुनाव के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पीछे अन्य उद्देश्य भी हैं, जिसके लिए अकेले लोकसभा में बहुमत के बिना कई संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता है। यह आरएसएस के नारे 'एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म' का ही विस्तार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल्दबाजी में इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, जो देश की संघीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विनाश की शुरुआत है। एआईएफबी का मानना है कि आरएसएस और भाजपा द्वारा पेश की गई 'एक देश, एक चुनाव' प्रणाली एक नेता को सारी शक्ति सौंपकर केंद्रीकृत तानाशाही बनाने की चाल है।(12–16 दिसंबर 2018 को कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की 18वीं पार्टी कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव।)

1.1 एक साथ चुनाव: अलोकतांत्रिक कदम। भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। वास्तव में, यह केंद्र सरकार ही है जिसने यह प्रस्ताव रखा है। यह सिर्फ सरकार या चुनाव आयोग द्वारा लिया जाने वाला निर्णय नहीं है। भारत में चुनावों में सभी राजनीतिक दल और लोग शामिल होते हैं।

1.2 एक साथ चुनाव कराने का यह विचार लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां जनता अंतिम निर्णय लेती है। संघवाद हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यह केंद्र और राज्य के स्वतंत्र और स्वतंत्र राजनीतिक विकास की परिकल्पना करता है। पूरे देश पर एक समान चुनावी पैटर्न थोपना उस विचार का उल्लंघन करता है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है, तो राज्य के लोगों को अगले एक साथ चुनाव होने तक प्रतिनिधि सरकार का इंतजार करना पड़ सकता है। यदि केंद्र सरकार संसद में अपना बहुमत खो देती है, तो या तो उसे अगले एक साथ चुनावों तक इंतजार करना होगा या वह सभी राज्य सरकारों को विधानसभाओं को भंग करने और चुनाव कराने के लिए मजबूर करेगी। यह अनुचित और अलोकतांत्रिक है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन का कोई प्रावधान नहीं है।

1.3 यह भी एक तथ्य है कि संसद और विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग–अलग हैं यह राज्यों के मुद्दों को कमजोर करेगा और छोटे दलों के महत्व और प्रासंगिकता को नकार देगा जबकि बहुदलीय प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की ताकत और सुंदरता है। चुनाव आयोग और सरकार को मुद्दों को मिलाकर लोगों की पसंद को वि त करने का कोई अधिकार नहीं है।

1.4 सरकार के निश्चित कार्यकाल का विचार लोकतंत्र के खिलाफ है। बार–बार चुनाव की उच्च लागत, चुनाव खर्च में वृद्धि, राजनीतिक फंडिंग की समस्या, आदर्श आचार संहिता के कारण बाधाएं मुद्दे हैं। लेकिन मौजूदा प्रस्ताव इन मुद्दों का समाधान नहीं है। हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र पर आधारित व्यापक और वैज्ञानिक चुनाव सुधार की जरूरत है। लोकतंत्र में लोगों का अपनी सरकार चुनने का अप्रतिबंधित अधिकार किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सरकार और चुनाव आयोग के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता है।

एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर एआईएफबी का भारत के विधि आयोग को 29 जून 2018 का पत्र, जिस पर पूर्व सांसद और पार्टी के तत्कालीन महासचिव कश्वमरेड देवव्रत विश्वास ने हस्ताक्षर किए हैं।

डा. न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 405, चतुर्थ तल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली 110 003 महोदय, मुझे आपका पत्र डी.ओ. नं. 6(3)322/2018–एल.सी.(एल.एस.) दिनांक 14 जून 2018 प्राप्त हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव के बारे में हमारी राय मांगी गई है। चुनाव प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों, राजनीतिक दलों की राय जानने के लिए भारतीय विधि आयोग द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए, हम इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने ठोस विचार रखना चाहेंगे।

1. हमारा मानना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को जबरदस्ती एक साथ कराना हमारी समय–परीक्षित संघीय प्रणाली की वास्तविक भावना के विरुद्ध है।

2. प्रस्ताव का उद्देश्य और प्रक्रिया संविधान और संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है, जो राज्य को अपनी सरकार बनाने या आवश्यकता पड़ने पर अपने विधायकों को चुनने का अधिकार सुनिश्चित करता है।

3. यदि राज्य के विधायक सरकार बनाने में विफल रहे, तो अंततः राष्ट्रपति शासन लागू होगा, जो संविधान में परिकल्पित लोगों के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

4. उक्त प्रस्ताव कई मामलों में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की भावना को कमजोर करेगा। इससे राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

5. गठबंधन की राजनीति के दौर में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चुनी हुई सरकार पूरे पांच साल तक सत्ता में रहेगी। विपक्ष विश्वास/अविश्वास प्रस्ताव पर मौजूदा सरकार को हराने के लिए एकजुट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष दूसरी सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाएगा।

6. यह एक तथ्य है कि बहुदलीय चुनाव प्रणाली हमारे लोकतंत्र की ताकत है, खासकर ऐसे देश में जहां सभी मामलों में बहुत विविधता है। हमें चुनाव कराने और सरकार बनाने में उन देशों के अनुभव से सीखना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त की।

7. निश्चित अवधि की सरकार निश्चित रूप से विपक्ष की आवाज को बाधित करेगी क्योंकि सरकार संवैधानिक रूप से विपक्ष की सभी धमकियों से अछूती है। यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने मतदाताओं की खातिर सरकार से न्याय पाने का हकदार है।

8. यदि केंद्र सरकार गिर जाती है और विपक्ष दूसरी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या सभी राज्य सरकारों को बर्खास्त करना और एक साथ चुनाव कराना संभव है?

9. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और मूल्यों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने की समीक्षा आर्थिक लागत के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। चुनावों को लागत प्रभावी नहीं माना जाना चाहिए।

10. यह सिद्ध तथ्य है कि राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होते हैं। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को अधिक महत्व मिलेगा और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय

शेष पेज 7 पर...

जन गर्जन हिन्दी मासिक ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक की केन्द्रीय समिति के लिए देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद सदस्य द्वारा टी–2235/2, अशोक नगर, फैज रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 से मुद्रित तथा प्रकाशित। दूरभाष : 28754273
संपादक : देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद
मुद्रण स्थल : कुमार ओफसेट प्रिंटर्स, 381, पटपड़ गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110092 वेबसाईट: www.forwardbloc.org
ईमेल:biswasd.aifb@yahoo.co.in
कम्प्यूटर कम्पोजिंग : प्रकाशन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक, नेताजी भवन, नई दिल्ली

जन गर्जन
नेताजी भवन,
टी–2235/2, अशोक नगर, फैज रोड़,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005
दूरभाष: 011–28754273

जन गर्जन
ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक का हिन्दी मासिक

सेवा में,